

**Speed post /त्रिव डाक**

भारत सरकार  
खानमंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खाननियंत्रायक का कार्यालय  
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर  
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in

**Show-cause Notice/कारण बताओ नोटिस**

Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Office of the Regional Controller of  
Mines. Makhupura Industrial Area,  
Ajmer- 305002  
Ph-145-2695165/2695476 Fax-  
2695202



संख्या: 4383/MCDR-MiFLOLST/15/2023-AJM-IBM\_RO\_AJM दिनांक: /01/2024

प्रेषित: खान एजेंट,  
श्यामगढ़ चुनापत्थर खान,  
मेसर्स श्री सिमेन्ट लिमिटेड,  
बांगुर नगर, ब्यावर-305901

जिला: ब्यावर (राज.)

(e-mail: [mahendra.garg@shreecement.com](mailto:mahendra.garg@shreecement.com), [gaurav.chauhan@shreecement.com](mailto:gaurav.chauhan@shreecement.com))

विषय: राजस्थान राज्य के ब्यावर जिले में स्थित आपकी श्यामगढ़ चुनापत्थर खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 04/01/2024 by undersign in presence of Sri Gaurav Chauhan, Mine Manager of your mine.

Rule	Status and extent of violation
45(7)	(1) Part V, Section 4: As per return format, the quantity of waste at the beginning of the year, generated during the year, disposed in dumps during the year, total at the end of the year should be furnished in cubic meter. However, on examination of the Annual return for the year 2022-23 it is observed that the quantity of waste at beginning of the year, generated during the year, disposed in dumps during the year, total at the end of the year has been furnished in the tons. Resulting submission of wrong or false information in annual return.

02 इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

(क) आपकी खान कि सारी संक्रियाए बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।

(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे कि समाप्ति की सिफारिश जा सकती है।

03. इस संबंध में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि नियम 45(7) के उल्लंघन के लिए खनिज संरक्षण एवं विकास (संशोधन) नियम 2021 कि अनुसूची -2 के प्रावधान लागू होंगे।

04. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप परोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 30 (तीस) दिनों दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।

05. कृपया ध्यान रखें के भविष्य में आपको इस संदर्भ में कोई सूचना अथवा अतिरिक्त समय नहीं दीया जाएगा।  
भवदीय

(दिलीप जैन)  
वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक  
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, ब्यावर।
4. रक्षित पत्रवली।

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक  
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर